बिहार लोक सेवा आयोग

15, जवाहरलाल नेहरू मार्ग (बेली रोड), पटना – 800001

कृषि विभाग, बिहार के अन्तर्गत बिहार कृषि सेवा वर्ग 2 (दो) के निम्नांकित कोटि के विभिन्न पदों पर वेतनमान 9300–34800, ग्रेड पे – 4800/– में नियुक्ति हेतु सुयोग्य उम्मीदवारों से विहित प्रपत्र में आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते है :–

क्र० सं०	विज्ञापन संख्या	कोटि एवं पदनाम	रिक्तियों की कोटिवार संख्या							न्यूनतम शैक्षिक योग्यता	न्यूनतम एवं अधिकतम उम्र सीमा
			अनारक्षित	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अत्यंत पिछड़ा वर्ग	पिछड़ा वर्ग	पिछड़े वर्ग की महिला	कुल		
1.	86/2014	बिहार कृषि सेवा कोटि–1 **(शष्य)** अनुमंडल कृषि पदाधिकारी/उप परियोजना निदेशक, आत्मा/सहायक निदेशक (शष्य एवं समकक्ष)	70+33 = 103	22+16 = 38	02+02 = 04	25+27 = 52	17+10 = 27	04+07 =11	**140+95 = 235**	किसी मान्यताप्राप्त कृषि विश्वविद्यालय/संस्थान/केन्द्रीय विश्वविद्यालय (कृषि संकाय) से कृषि विज्ञान में स्नातक की डिग्री।	विज्ञापन संख्या – 86/2014 से 90/2014 तक के लिए दिनांक 01.08.2014 को न्यूनतम उम्र 21 वर्ष एवं अधिकतम उम्र, अनारक्षित (पुरूष) –37 वर्ष, पिछड़ा वर्ग / अत्यंत पिछड़ा वर्ग (पुरुष एवं महिला) एवं अनारक्षित महिला–40 वर्ष एवं अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति (पुरूष एवं महिला)–42 वर्ष।
2.	87/2014	बिहार कृषि सेवा कोटि–2 **(कृषि अभियंत्रण)** सहायक निदेशक (कृषि अभियंत्रण)	25+07 =32	10+03 =13 (02+01=03 पद बैकलॉग के रूप में)	–	10+02 =12 (एक पद बैकलॉग के रूप में)	07+00= 07 (एक पद बैकलॉग के रूप में)	01+01 =02	**53+13 = 66**	किसी मान्यताप्राप्त कृषि विश्वविद्यालय/संस्थान/केन्द्रीय विश्वविद्यालय (कृषि संकाय) से कृषि अभियंत्रण में स्नातक की डिग्री।	
3.	88/2014	बिहार कृषि सेवा कोटि–3 **(रसायन)** सहायक निदेशक (रसायन)	22	08 (एक पद बैकलॉग के रूप में)	01	08 (एक पद बैकलॉग के रूप में)	06	01	**46**	किसी मान्यताप्राप्त कृषि विश्वविद्यालय/राष्ट्रीय विश्वविद्यालय/अन्य विश्वविद्यालय से कृषि विज्ञान में स्नातक/विज्ञान में स्नातक, (रसायन के साथ) की डिग्री।	
4.	89/2014	बिहार कृषि सेवा कोटि–5 **(पौधा संरक्षण)** सहायक निदेशक (पौधा संरक्षण)	13+04 =17	04+02 =06 (एक पद बैकलॉग के रूप में)	–	04+02 =06 (एक पद बैकलॉग के रूप में)	03+01 =04 (एक पद बैकलॉग के रूप में)	01	**24+10 = 34**	किसी मान्यताप्राप्त कृषि विश्वविद्यालय /संस्थान/केन्द्रीय विश्वविद्यालय (कृषि संकाय) से Elective Plant Protection (पौधा संरक्षण) के साथ में स्नातक की डिग्री।	
5.	90/2014	बिहार कृषि सेवा कोटि–7 **(उद्यान)** सहायक निदेशक (उद्यान)	17	06 (एक पद बैकलॉग के रूप में)	01	01 (बैकलॉग के रूप में)	10	01	**36**	किसी मान्यताप्राप्त कृषि विश्वविद्यालय /राष्ट्रीय विश्वविद्यालय (कृषि संकाय) से उद्यान विज्ञान में स्नातक या Elective उद्यान विज्ञान के साथ कृषि विज्ञान में स्नातक की डिग्री।	

2. (i) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के संकल्प ज्ञापांक–2374, दिनांक– 16.07.2007 के आलोक मे बिहार सरकार के ऐसे सरकारी सेवक, जो तीन वर्षो की निरंतर सेवा पूर्ण कर चुके हों, को उच्चतर वेतनमान की सेवा/संवर्ग में जाने के लिए अधिकतम आयु सीमा में 05 (पाँच) वर्ष की छूट अनुमान्य है।

(ii) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार की संकल्प ज्ञापांक – 62, दिनांक 05.01.2007 के आलोक में विकलांगों को अधिकतम आयु सीमा के अतिरिक्त अधिकतम उम्र सीमा में 10 वर्षों की छूट अनुमान्य है और इन्हें अपनी मूल कोटि में ही 3 (तीन) प्रतिशत आरक्षण देय हैं।

(iii) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के पत्रांक–2447 दिनांक 06.03.1990 के आलोक में; भूतपूर्व सैनिकों को उम्र सीमा में 03(तीन) वर्ष तथा प्रतिरक्षा सेवा में बितायी गयी सेवा अवधि के योग के समतुल्य रियायत दी जायेगी बशर्ते कि उनकी वास्तविक उम्र आवेदन देने की तिथि को 53 वर्ष से अधिक नहीं हो।

3. आरक्षण:

(i) आवेदन पत्र में, नियत क्रमांक के अधीन इंगित आरक्षण का दावा नहीं करने पर आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। आरक्षण की सुविधा उन्हीं उम्मीदवारों को मिलेगी, जिनका स्थायी निवास बिहार राज्य में है अर्थात् जो बिहार के मूलवासी हैं। बिहार राज्य के बाहर के निवासी अभ्यर्थी आरक्षण के लाभ हेतु दावा नहीं करेंगे।

(ii) सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार के परिपत्र सं० 673, दिनांक 08.03.2011 के आलोक में आरक्षित कोटि के उम्मीदवार के लिए, पिछड़ा वर्ग एवं अत्यन्त पिछड़ा वर्ग की दशा में, अपने स्थायी अधिवास के अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति की दशा में; अपने स्थायी अधिवास के अंचल के राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित अंचलाधिकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा। **विहित मूल आरक्षण प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने के लिए उम्मीदवार के साक्षात्कार की तिथि अंतिम तिथि होगी, उक्त तिथि के पश्चात प्रस्तुत किया गया जाति प्रमाण पत्र अमान्य होगा, और संबंधित उम्मीदवार सामान्य (अनारक्षित) कोटि में अंकित किये जायेंगे।**

4. शुल्क: केवल बिहार राज्य के अनुसूचित जाति/अनुसूचित जन जाति के उम्मीदवारों को 100/– (एक सौ) रूपये + बैंक चार्ज 50/– (पचास) रूपये; कुल 150/– (एक सौ पचास) रूपये तथा बिहार राज्य के अन्य कोटि के उम्मीदवारों सहित सभी राज्यों के सभी कोटि के उम्मीदवारों के लिए 375/– (तीन सौ पचहत्तर) रूपये + बैंक चार्ज 50/– (पचास) रूपये; कुल 425/– (चार सौ पचीस) रूपये चालान के माध्यम से आयोग के खाता संख्या 31650243410 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की किसी भी शाखा में जमा करना होगा। उक्त चालान का प्रपत्र आयोग के वेबसाईट http://bpsc.bih.nic.in से डाउनलोड कर व्यवहार में लाया जा सकता है। **उम्मीदवार चालान की एक प्रति (BPSC's Copy) आवेदन पत्र के साथ निश्चित रूप से संलग्न करेंगे तथा तीसरी प्रति (Depositor's Copy) अपने पास सुरक्षित रखेंगे।**

5. अन्य: **अपूर्ण, अहस्ताक्षरित तथा विलम्ब से प्राप्त आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिये जायेंगे तथा शुल्क वापस नहीं किया जायेगा। अलग–अलग विज्ञापन संख्या के लिए अलग–अलग आवेदन किया जाना अपेक्षित है। तदनुसार ही शुल्क जमा करना होगा।**

6. चयन का आधार – लिखित परीक्षा एवं साक्षात्कार के आधार पर।

(क) लिखित परीक्षा तीन विषयों की होगी। कोटि एवं विषयों के नाम, पूर्णांक, परीक्षा की अवधि, प्रकृति तथा पाठ्यक्रम निम्नलिखित सारणी के अनुसार होंगे :–

क्र० सं०	कोटि एवं विषय	पत्र	पूर्णांक	परीक्षा की अवधि	परीक्षा की प्रकृति	पाठ्यक्रम
1.	**सामान्य हिन्दी** (General Hindi)	–	100	तीन घंटा	विषयनिष्ठ	विज्ञापन संख्या– 86/2014 से 90/2014 तक के लिए हिन्दी एवं सामान्य ज्ञान का पाठ्यक्रम आयोग के वेबसाईट http://bpsc.bih.nic.in पर उपलब्ध हैं।
2.	**सामान्य ज्ञान** (General Knowledge)	–	100	तीन घंटा	विषयनिष्ठ	
3.	बिहार कृषि सेवा कोटि–1 **शष्य** (Agronomy)	प्रथम पत्र	200	तीन घंटा	विषयनिष्ठ	विज्ञापन संख्या– 86/2014 में शष्य का पाठ्यक्रम वही होगा, जो Bihar Agriculture Service, Category-1 हेतु कृषि विभाग, बिहार द्वारा Agronomy के लिये निर्धारित किया गया है। उक्त पाठ्यक्रम कृषि विभाग, बिहार के वेबसाईट www.krishi.bih.nic.in पर उपलब्ध हैं एवं आयोग के वेबसाईट http://bpsc.bih.nic.in पर भी उपलब्ध हैं।
		द्वितीय पत्र	200	तीन घंटा	विषयनिष्ठ	

बिहार कृषि सेवा कोटि–2 **कृषि अभियंत्रण** (Agri. Engg.)	प्रथम पत्र	200	तीन घंटा	विषयनिष्ठ	विज्ञापन संख्या– 87/2014 में कृषि अभियंत्रण का पाठ्यक्रम वही होगा, जो Bihar Agriculture Service, Category-2 हेतु कृषि विभाग, बिहार द्वारा Agri. Engg. के लिये निर्धारित किया गया हैं। उक्त पाठ्यक्रम कृषि विभाग, बिहार के वेबसाईट www.krishi.bih.nic.in पर उपलब्ध है एवं आयोग के वेबसाईट http://bpsc.bih.nic.in पर भी उपलब्ध हैं।
	द्वितीय पत्र	200	तीन घंटा	विषयनिष्ठ	
बिहार कृषि सेवा कोटि–3 **रसायन** (Chemistry)	प्रथम पत्र	200	तीन घंटा	विषयनिष्ठ	विज्ञापन संख्या– 88/2014 में रसायन का पाठ्यक्रम वही होगा, जो Bihar Agriculture Service, Category-3 हेतु कृषि विभाग, बिहार द्वारा Chemistry के लिये निर्धारित किया गया हैं। उक्त पाठ्यक्रम कृषि विभाग, बिहार के वेबसाईट www.krishi.bih.nic.in पर उपलब्ध हैं एवं आयोग के वेबसाईट http://bpsc.bih.nic.in पर भी उपलब्ध हैं।
	द्वितीय पत्र	200	तीन घंटा	विषयनिष्ठ	
बिहार कृषि सेवा कोटि–5 **पौधा संरक्षण** (Plant Protection)	प्रथम पत्र	200	तीन घंटा	विषयनिष्ठ	विज्ञापन संख्या– 89/2014 में पौधा संरक्षण का पाठ्यक्रम वही होगा, जो Bihar Agriculture Service, Category-5 हेतु कृषि विभाग, बिहार द्वारा Plant Protection के लिये निर्धारित किया गया हैं। उक्त पाठ्यक्रम कृषि विभाग, बिहार के वेबसाईट www.krishi.bih.nic.in पर उपलब्ध हैं एवं आयोग के वेबसाईट http://bpsc.bih.nic.in पर भी उपलब्ध हैं।
	द्वितीय पत्र	200	तीन घंटा	विषयनिष्ठ	
बिहार कृषि सेवा कोटि–7 **उद्यान** (Horticulture)	प्रथम पत्र	200	तीन घंटा	विषयनिष्ठ	विज्ञापन संख्या– 90/2014 में उद्यान का पाठ्यक्रम वही होगा, जो Bihar Agriculture Service, Category-7 हेतु कृषि विभाग, बिहार द्वारा Horticulture के लिये निर्धारित किया गया हैं। उक्त पाठ्यक्रम कृषि विभाग, बिहार के वेबसाईट www.krishi.bih.nic.in पर उपलब्ध हैं एवं आयोग के वेबसाईट http://bpsc.bih.nic.in पर भी उपलब्ध हैं।
	द्वितीय पत्र	200	तीन घंटा	विषयनिष्ठ	

(ख) लिखित परीक्षा की मेधा सूची :– सामान्य ज्ञान के 100 अंक तथा संबंधित विषय के दो पत्रों (प्रथम पत्र–200 अंक एवं द्वितीय पत्र–200 अंक) कुल 500 अंकों में से प्राप्त अंकों के आधार पर लिखित परीक्षा की सामान्य मेधा सूची एवं कोटिवार मेधा सूची तैयार की जाएगी। सामान्य हिन्दी में 30 अंक न्यूनतम योग्यताप्रदायी अंक होगा, जिसे नहीं प्राप्त करने पर उम्मीदवार को लिखित परीक्षा हेतु योग्यता प्राप्त नहीं माना जाएगा। सामान्य हिन्दी के प्राप्तांक की गणना मेधा सूची के प्रयोजनार्थ नहीं की जाएगी।

(ग) साक्षात्कार :– लिखित परीक्षा में सफल उम्मीदवारों के लिए 50 अंकों का साक्षात्कार भी आयोजित किया जाएगा।

(घ) कार्मिक एवं प्रशासनिक सुधार विभाग, बिहार के संकल्प संख्या–2374 दिनांक 16.07.2007 एवं पत्रांक 6706, दिनांक 01.10.2008 के अनुसार लिखित परीक्षा में सामान्य श्रेणी के लिए 40 (चालीस) प्रतिशत, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए 34 (चौंतीस) प्रतिशत, पिछड़ा वर्ग के लिए 36.5 (साढ़े छत्तीस) प्रतिशत, एवं अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति, महिलाओं तथा निःशक्तता से ग्रस्त (विकलांग) उम्मीदवारों के लिए 32 (बत्तीस) प्रतिशत अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा, अन्यथा वे प्रतियोगिता से बाहर हो जाएंगे।

(च) अंतिम मेधा सूची :– लिखित परीक्षा के प्राप्तांक एवं साक्षात्कार में प्राप्त अंक को जोड़कर अंतिम मेधा सूची तैयार की जाएगी।

7. अंतिम तिथिः

(i) **भरा हुआ आवेदन पत्र केवल निबंधित डाक/स्पीड पोस्ट से इस प्रकार भेंजे कि सोमवार, दिनांक 22.12.2014 को अपराह्न 5.00 बजे तक परीक्षा नियंत्रक, बिहार लोक सेवा आयोग, 15, जवाहरलाल नेहरू मार्ग (बेली रोड), पटना – 800001 को अवश्य प्राप्त हो जाए।**

(ii) **यदि डाक सेवा में विलम्ब के कारण किसी अभ्यर्थी का आवेदन पत्र आयोग कार्यालय में निर्धारित अन्तिम तिथि के बाद प्राप्त होगा, तो वैस आवेदन को अस्वीकृत कर दिया जायेगा और इसके लिए आयोग कतई जिम्मेवार नहीं होगा।**

आवेदन पत्र भरने हेतु आवश्यक निर्देश

1. प्रविष्टिः

(i) आवेदन पत्र निर्धारित प्रपत्र में ए–4 आकार (210×297 मिमी॰) के मोटे कागज पर आयोग के वेबसाइट http://bpsc.bih.nic.in से डाउनलोड कर व्यवहार में लायें। **आवेदन प्रपत्र तीन पृष्ठों में ही कागज के दोनों पार होना चाहिए। निर्धारित प्रपत्र से अलग, मुद्रित, टंकित, हस्तलिखित आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किये जायेंगे।**

(ii) आवेदन पत्र की सभी प्रविष्टियाँ नीले/काले इंक के बॉल प्वाइंट पेन से स्वहस्तलिपि में साफ–साफ अंकित करें। चूंकि आवेदन कम्प्यूटरीकृत प्रणाली द्वारा प्रोसेस किया जाना है, अतः यह अनिवार्य है कि आवेदन निर्धारित प्रपत्र में ही हो; उचित एवं पूर्ण रूप से भरा हो और उसमें कोई संशोधन/परिवर्तन/ओवरराइटिंग नहीं हो। आवेदन भरने हेतु अंग्रेजी के अंतर्राष्ट्रीय अंकों का ही प्रयोग करें।

(iii) आवेदन–पत्र में रिक्त आयतों को समुचित तरीके से इस प्रकार भरें, जैसेः–

(i) **आवेदन की कंडिका 1(i) में देवनागरी लिपि में नाम, यथा; रिनग्धा, इस प्रकार भरा जाय –**

रि	न	ग	धा		

(ii) **हिन्दी अथवा अंग्रेजी में एक शब्द के बाद एक ब्लॉक रिक्त रखें, यथा – ANIL KUMAR RAM को बाक्स में इस तरह लिखेंगे एवं तदनुसार ही ब्लॉक को भरेंगे :–**

A	N	I	L		K	U	M	A	R		R	A	M

(iii) **आवेदन की कंडिका 2(iii) में यदि आप किसी आरक्षित वर्ग से हैं तो 1 भरें एवं नहीं हैं तो 2 भरें।**

(iv) **आवेदन की कंडिका 2(iv) में, आरक्षित वर्ग के उम्मीदवार संबंधित आरक्षित वर्ग का कोड अनुसूचित जाति के लिये 02, अनुसूचित जनजाति के लिये 03, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिये 04, पिछड़ा वर्ग के लिये 05 एवं पिछड़े वर्ग की महिला के लिये 06 भरें।**

उसी प्रकार सभी स्तम्भ (कॉलम) के आयतों को भरें। **अपूर्ण अथवा अनुचित तरीके से भरे गये आयतों को अधूरी/अपूर्ण सूचना समझी जायेगी एवं आवेदन अस्वीकृत कर दिया जायेगा।**

(iv) जो स्तम्भ (कॉलम) उम्मीदवार से संबधित न हो अथवा उसपर लागू न हो, उसे क्रॉस (×) कर दें।

(v) क्रमांक 8 "शैक्षिक योग्यता" के अधीन प्राप्तांक/पूर्णांक एवं प्रतिशत के स्तम्भों में अतिरिक्त विषय के अंक एवं प्रतिशत को नहीं जोड़ें।

(vi) स्तम्भ (कॉलम) 10 में उम्मीदवार अपनी शारीरिक पहचान का एक विशिष्ट चिह्न अवश्य अंकित करें जो दूसरों से उनकी पहचान पृथक कर सके।

2. फोटोग्राफः

आवेदन–पत्र के पृ॰ 1 एवं 3 पर फोटो चिपकाने हेतु निर्धारित खाली जगह में अंकित निर्देशों का अक्षरशः पालन करें। **फोटो स्टेपल न करें या सेलोटेप से न साटें। गोंद से अच्छी तरह चिपकाएँ।** दोनों फोटो एक ही तरह का हाल का खींचा हुआ होना चाहिए। पुराना एवं अस्पष्ट फोटो आवेदन–अस्वीकृति का कारण हो सकता है। **फोटो इस प्रकार स्वअभिप्रमाणित किया जाय कि हस्ताक्षर का आधा भाग आवेदन पर एवं शेष आधा भाग फोटो पर रहे।**

3. लिफाफा एवं प्रमाण पत्रः

(i) **विहित आवेदन पत्र के साथ निम्नलिखित प्रमाण पत्रों की स्वअभिप्रमाणित प्रतियां अनुलग्नक के रूप में क्रमवार अवश्य संलग्न करें:–**

1) मैट्रिक का प्रमाण पत्र,
2) स्नातक डिग्री प्रमाण पत्र एवं अंक पत्र,
3) जाति प्रमाण पत्र (अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के उम्मीदवारों के लिये),
4) जाति प्रमाण पत्र (अत्यन्त पिछड़ा वर्ग/पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए क्रीमीलेयर रहित प्रमाण पत्र के साथ),
5) विकलांगता का दावा करने की स्थिति में सक्षम प्राधिकार द्वारा निर्गत तत्सम्बन्धी प्रमाण पत्र।

(ii) 16 × 10 से॰मी॰ का स्वपता लिखित दो लिफाफा (अनुक्रमांक तथा प्रवेश पत्र निर्गत करने हेतु), जिनपर 40–40 रूपये का डाक टिकट सटा हो, विहित आवेदन पत्र के साथ संलग्न करें।

(iii) जिस लिफाफे में आवेदन पत्र भेज रहे हैं, उस लिफाफा के ऊपर विज्ञापन सं॰ एवं पदनाम जिसके लिए आपने आवेदन किया है, अनिवार्य रूप से अंकित करें। उसपर अपना पूरा पता अंकित करें।

संयुक्त सचिव–सह–परीक्षा नियंत्रक,
बिहार लोक सेवा आयोग, पटना